

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 263 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 07 / 04 / 2014)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. धीरेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश पुत्र निहाल सिंह गुर्जर, उम्र 40 वर्ष।
निवासी : ग्राम इटायदा, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।
हाल निवासी :- मातवर सिंह गुर्जर का मकान, धर्मवीर पेट्रोल पम्प
के पास रणधीर कॉलोनी भिण्ड रोड़ ग्वालियर, थाना—गोले का मन्दिर
ग्वालियर, जिला—ग्वालियर, (म.प्र.)।
..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 20 / 02 / 2018 को घोषित)

01. आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश पर धारा 304 “ए” “02 काउण्ट”
भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 07 / 02 / 2014 को दोपहर
लगभग 04:30 बजे भिण्ड—ग्वालियर लोकमार्ग बाराहेड के पास, उसके आधिपत्य
के वाहन एक्स.यू.व्ही. कार क्रमांक एम.पी.07 / सी.बी. / 9851 को उपेक्षा या
उतावलेपन से चलाकर मृतक रमाकान्त उर्फ रामू एवं श्यामलाल की मोटर
साईकिल क्रमांक एम.पी.07 / एम.एस. / 3164 में टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु
कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :-
07 / 02 / 2014 को दोपहर लगभग 04:30 बजे भिण्ड—ग्वालियर लोकमार्ग
बाराहेड के पास, अज्ञात चार पहिया वाहन के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी
व लापरवाही से चलाकर मृतक की साईकिल क्रमांक एम.पी.07 / एम.एस. / 3164
में टक्कर मारकर मृतक रमाकान्त उर्फ रामू की मृत्यु कारित करने एवं श्यामलाल
को उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा
उसी दिनांक को थाना गोहद चौराहा में की जाने पर, थाना गोहद चौराहा में
अज्ञात चार पहिया वाहन के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26 / 2014 अन्तर्गत
धारा 279, 337 एवं 304 ए पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
उपचार के दौरान आहत श्यामलाल की मृत्यु हो जाने के कारण आरोपी के
विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान द
टनारथल का नक्शा—मौका बनाया गया। फरियादी / साक्षी श्याम सुन्दर शर्मा,

श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, किशोर सिंह, विनोद सिंह, कपिल शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, देवाराम, श्रीमती मीना बाई, नरेन्द्र सिंह एवं छोटेलाल के धारा 161 द.प्र.सं. के कथनों में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन एक्स.यू.व्ही. कार क्रमांक एम.पी. 07/सी.बी./9851 उल्लेखित होने के कारण आरोपी धीरेन्द्र सिंह के आधिपत्य से उक्त एक्स.यू.व्ही. कार को मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी अमित सिंह का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी श्याम सुन्दर शर्मा, श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, किशोर सिंह, विनोद सिंह, कपिल शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, देवाराम, श्रीमती मीना बाई, नरेन्द्र सिंह एवं छोटेलाल के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश के विरुद्ध धारा 304 ए "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश ने दिनांक :- 07/02/2014 को दोपहर लगभग 04:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग बाराहेड के पास, उसके आधिपत्य के वाहन एक्स.यू.व्ही. कार क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./9851 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक रमाकान्त उर्फ रामू एवं श्यामलाल की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एस./3164 में टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी श्याम सुन्दर अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना सात या आठ फरवरी 2014 की शाम के समय की है। उस समय उसे विनोद एवं किशोर परिहार द्वारा सूचना मिली थी कि उसके भाई रमाकान्त शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना प्राप्त होने के समय वह थाना पुरानी छावनी में 108 एम्बूलेंस में सीनियर पायलेट के पद पद कार्यरत

था। सूचना मिलते ही वह घटनास्थल सर्वा पेड़ा गुरुद्वारे के पास पहुँचा, जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब तक पुलिस वाले उसके भाई को गोहद अस्पताल लेकर आये थे। उसके भाई के साथ उसके एक दोस्त श्यामलाल का भी एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वह थाना गोहद चौराहा गया था। उसके बाद वह पुलिस वालों के साथ अस्पताल गोहद आया, जहाँ पर उसके भाई रमाकान्त को मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस वालों ने उससे रमाकान्त की शिनाख्त कार्यवाही करवाई थी, उसके बाद उसने थाना गोहद चौराहा में घटना की रिपोर्ट लिखवाई थी, जो प्र.पी.05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस वालों ने उसे मृत्यु जांच में उपस्थित होने का नोटिस दिया था, जो प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके भाई का शव पंचनामा प्र.पी.09 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। साक्षी आगे कहता है कि किशोर एवं विनोद ने उसे उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाकर दुर्घटनाकारित करने वाली गाड़ी एक्स.यू.व्ही. 500 का नम्बर बताया था, जो उसे आज याद नहीं है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर श्याम सुन्दर अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि उसे याद नहीं है कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर एम.पी.07/सी. बी./9851 था, अथवा नहीं। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.10 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 श्याम सुन्दर अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसने दुर्घटनाकारित होते हुये नहीं देखी। उल्लेखनीय यह भी है कि यदि साक्षी किशोर एवं विनोद ने श्याम सुन्दर अ.सा.06 को दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का क्रमांक लिखाया होता, तो उक्त क्रमांक श्याम सुन्दर अ.सा.06 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 में अवश्य लेखबद्ध कराया जाता, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 में लेखबद्ध नहीं है। इस प्रकार यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

08. साक्षी किशोर सिंह अ.सा.09 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 23/12/2017 से करीबन ढाई साल पूर्व की होकर सर्दियों के सीजन की है। साक्षी आगे कहता है कि वह एवं विनोद सिंह मोटर साईकिल से ग्वालियर से गोहद की तरफ आ रहे थे, तभी मालनपुर पर रमाकान्त शर्मा, जो उसका दोस्त है एवं रमाकान्त का दोस्त, जिसका नाम वह नहीं जानता, मिले। साक्षी आगे कहता है कि रमाकान्त की मोटर साईकिल आगे चल रही थी एवं उसकी मोटर साईकिल पीछे चल रही थी। जब वह लोग सर्वा पेड़ा पर पहुँचे, तो बाथरूम करने के लिए उसने अपनी गाड़ी रोक दी तो सामने से एक सफेद रंग की महिन्द्रा एक्स.यू.व्ही. कार

तेजी एवं लापरवाही से आई, जिसने रमाकान्त की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे रमाकान्त दूर जाकर गिरे। साक्षी आगे कहता है कि जब उसने उक्त दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन एक्स.यू.व्ही को रोकना चाहा, तो वह नहीं रुका और ग्वालियर की तरफ अपनी कार को भगाकर ले गया। फिर उसने रमाकान्त के भाई श्याम सुन्दर के भाई को फोन लगाया और बताया कि आपके भाई रमाकान्त का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई हैं। फिर श्यामसुन्दर ने फोन लगाकर उसे बोला कि तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ, उसके बाद श्यामसुन्दर घटनास्थल पर आ गया। फिर 108 से रमाकान्त को लेकर अस्पताल गये थे। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर किशोर सिंह अ.सा.09 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में यह बताया था कि जैसे ही वह लोग बाराहेड के मोड़ के थोड़ा आगे निकले, तभी भिण्ड की तरफ से महिन्द्रा एक्स.यू.व्ही. कार क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./9851 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से चलाकर रमाकान्त की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी थी।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में किशोर अ.सा.09 ने यह दर्शित किया है कि वह दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर नहीं बता सकता और आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के डी से डी भाग में नहीं लिखाया था, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि साक्षी किशोर अ.सा.09 के पुलिस कथन प्र.डी.01 के डी से डी भाग के मध्य दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./9851 उल्लेखित है। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में वाहन क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./9851 की पहचान के संबंध में किशोर अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। साक्षी आगे कहता है कि वह प्रकरण के आरोपी धीरेन्द्र को नहीं जानता, ना ही उसे सामने आने पर पहचान सकता है। इस प्रकार साक्षी किशोर अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं, जो आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के क्रमांक के रूप में एम.पी.07/सी.बी./9851 एवं वाहन चालक के रूप में आरोपी धीरेन्द्र की पहचान को स्थापित करते हो।

10. अभियोजन साक्षी अमित सिंह चौहान अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह हाजिर अदालत आरोपी धीरेन्द्र को नहीं जानता है। वह महिन्द्रा कार क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./9851 का पंजीकृत स्वामी है। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसकी उक्त कार को जब्त लिया था, जिसे उसके द्वारा न्यायालय से सुपुर्दगी पर लिया था। साक्षी को प्रमाणीकरण प्र.पी.14 का दस्तावेज दिखाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अमित सिंह अ.सा.08 ने अभियोजन

अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक : 07/12/2014 को उसकी महिन्द्रा कार क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./9851 पर चालक के रूप में आरोपी धीरेन्द्र कार्यरत था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि धीरेन्द्र ने उसे फोन से बताया था कि बाराहेट के पास महिन्द्रा कार क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./9851 से एक मोटर साईकिल का एक्सीडेंट हो गया था एवं उक्त जानकारी के आधार पर उसने पुलिस को प्रमाणीकरण दिया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में साक्षी अमित सिंह चौहान ने आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.14 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने कोरे कागज पर कराये थे एवं पुलिस ने उसे यह नहीं बताया था कि उसने प्र.पी.14 के दस्तावेज पर क्या लिखा जायेगा। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर थाने पर कराये थे। इस प्रकार साक्षी अमित सिंह अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी धीरेन्द्र सिंह की पहचान के तथ्य को स्थापित करते हो।

11. प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक गोप सिंह अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक : 07/02/2014 को थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा श्याम सुन्दर की रिपोर्ट पर से अज्ञात चार पहिया वाहन के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26/2014 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304 ए भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में गोप सिंह अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि फरियादी द्वारा घटना कारित करने वाले वाहन का नम्बर नहीं लिखाया गया था। इस वावत् गोप सिंह अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है।

12. अभियोजन साक्षी राघवेन्द्र सिंह तोमर अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 07/02/2014 को थाना गोहद चौराहा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 26/2014 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी तथा मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 06/2014 अन्तर्गत धारा 174 द.प्र.सं. भी प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा सीएचसी गोहद पहुँचकर सफीना फार्म जारी कर पंचान को बुलाया, जो प्र.पी.08 है, जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा नक्शा पंचनामा लाश बनाया गया था, जो प्र.पी.09 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं मृतक रमाकान्त का पी.एम. फार्म भरकर गोहद अस्पताल में दिया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके सी से सी एवं डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक :

15/02/2014 को किशोर सिंह के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.13 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं दिनांक : 15/02/2014 को साक्षी किशोर का कथन लिया था। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 18/02/2014 को वाहन मालिक अमित सिंह चौहान थाने पर उपस्थित होकर घटना के संबंध में घटना के ड्रायवर की जानकारी दी, तब प्रमाणीकरण तैयार किया, जो प्र.पी.14 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा आरोपी धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.12 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से दुर्घटनाकारित करने वाली कार एम.पी.07/सी.बी./9851 को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.11 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। साक्षी आगे कहता है कि थाना कम्पू से मार्ग क्रमांक जीरो, 42/2014 अन्तर्गत धारा 174 द.प्र.सं. की मार्ग इन्टीमेशन प्राप्त होने पर थाने की असल मार्ग क्रमांक 08/2014 को मृतक श्याम लाल के सफीना फार्म एवं पंचायतनामा लाश भी डायरी में संलग्न किये थे।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में विवेचक राघवेन्द्र अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षी किशोर द्वारा उसे कथन नहीं दिया गया, जबकि साक्षी किशोर अ.सा.09 ने पुलिस को उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 का डी से डी भाग लेखबद्ध ना कराना व्यक्त किया। इसी प्रकार राघवेन्द्र अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षी श्यामसुन्दर शर्मा एवं पुरुषोत्तम शर्मा ने उनके पुलिस कथनों का ए से ए भाग उसे नहीं दिया था, जबकि उक्त साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन प्र.पी.01 एवं प्र.पी.10 का ए से ए भाग पुलिस को ना देना व्यक्त किया। ऐसी दशा में विवेचक राघवेन्द्र अ.सा.07, पुरुषोत्तम अ.सा.04, श्याम सुन्दर अ.सा.06, किशोर अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों एवं पुरुषोत्तम अ.सा.04, श्याम सुन्दर अ.सा.06 एवं किशोर अ.सा.09 के पुलिस कथनों के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है। धारा 161 द.प्र.सं. के अन्तर्गत विवेचना के दौरान दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का क्रमांक दर्शित करने वाले एक अन्य साक्षी विनोद का साक्ष्य अंकित कराये जाने के लिए अभियोजन को 37 अवसर प्रदान किये गये, परन्तु उसके बाद भी अभियोजन उक्त साक्षी का साक्ष्य अंकित कराने में असफल रहा है।

14. पुरुषोत्तम अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि उसे एक लड़के ने ग्राम सर्वा में बताया था कि उसका पुत्र रामू उर्फ रमाकान्त एक्सीडेंट में खत्म हो गया है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही ऽ गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी पुरुषोत्तम अ.सा.01 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। मुख्य परीक्षण में दर्शित तथ्यों से पुरुषोत्तम अ.सा.01 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना भी दर्शित नहीं होता है।

15. डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.02 एवं डॉ.हीरालाल मॉझी अ.सा.04 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल मृतक रमाकान्त एवं मृतक श्यामलाल के शव परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षीगण होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं प्र.पी.04 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश ने दिनांक : 07/02/2014 को दोपहर लगभग 04:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग बाराहेड के पास, उसके आधिपत्य के वाहन एक्स.यू.व्ही. कार क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./9851 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक रमाकान्त उर्फ रामू एवं श्यामलाल की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एस./3164 में टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ मुकेश के विरुद्ध धारा 304 ए "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी को भा.द.सं. की धारा 304 ए "02 काउण्ट" के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

19. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन एक्स.यू.व्ही. कार क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./9851 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी अमित सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

8. फरियादी रिषभ कुमार अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 03/08/2013 की शाम पाँच बजे की स्यौड़ा रोड़ मौ की है। साक्षी आगे कहता है कि वह मोटर साईकिल से मौ से स्यौड़ा की तरफ सुनील जैन के साथ जा रहा था, तभी जब काली माता मंदिर के पास पहुँचा तो स्यौड़ा की तरफ से आ रही एक जेसीबी मशीन क्रमांक 770 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उनकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह एवं सुनील गिर गये और उन्हें चोटें आई। साक्षी आगे कहता है कि दुर्घटना में सुनील के हाथ एवं पैर टूट गये थे। वह जेसीबी चलाने वाले चालक को देख नहीं पाया था और ना ही सामने आने पर पहचान सकता है। दुर्घटना के 10 मिनट बाद पुलिस घटनास्थल पर आ गई थी और पुलिस अपने वाहन में उसे एवं सुनील को ईलाज हेतु अस्पताल मौ लेकर आई थी। वहाँ से आहत सुनील को ग्वालियर रैफर कर दिया गया था। उसके बाद उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है, क्योंकि उसका हाथ घायल था और वह हस्ताक्षर नहीं कर पा रहा था। उसी दिनांक को पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। इस प्रकार फरियादी/आहत ऋषभ कुमार अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में जे.सी.बी. क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./0455 की पहचान अथवा आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जीवाराम की पहचान के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

09. साक्षी सुनील जैन अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी जीवाराम को जानता है। घटना 03 अगस्त 2013 के शाम पाँच बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह ऋषभ जैन के साथ डिस्कवर मोटर साईकिल से संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने जा रहा था, मोटर साईकिल को ऋषभ जैन चला रहा था। जैसे ही वह लोग लोढ़ी माता के मंदिर के पास पहुँचे, तो सामने से एक पीले रंग की जे.सी.बी. मशीन 770 नम्बर की आ रही थी, उक्त जे.सी.बी. मशीन को जीवाराम लापरवाही से चला रहा था। जीवाराम ने उक्त जे.सी.बी. मशीन से उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगन से उसके हाथ एवं पैर में चोट आई एवं ऋषभ को भी चोटें आई थी, वह थोड़ा-बहुत छिल गया था उसके बाद पुलिस आ गई थी और उसे हॉस्पिटल ले गई थी, जहाँ से उसे ग्वालियर रिफर कर दिया गया था।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में सुनील अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्र.डी.01 में आरोपी चालक का नाम बता दिया था, अगर ना लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि सुनील अ.सा.01 के पुलिस कथन प्र.डी.01 में आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी जीवाराम एवं दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में जेसीबी क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./0455 होने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। इस प्रकार इस वावत् सुनील अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। उल्लेखनीय यह भी है कि सुनील अ.सा.01 ने उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप-रंग, कद-काठी अथवा हुलिया के संबंध में भी कोई तथ्य दर्शित नहीं किये है, ना ही उसने यह बताया है कि वह सामने आने पर आरोपी चालक को पहचान लेगा, बल्कि सुनील अ.सा.01 द्वारा तो उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में यह दर्शित किया गया है कि दुर्घटनाकारित करने वाली जेसीबी का चालक दुर्घटना के बाद उक्त जेसीबी मशीन को मौ की तरफ भगा ले गया था। ऐसी दशा में मात्र न्यायालय में उपस्थित होकर आरोपी जीवाराम को आरोपित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के रूप में पहचानने संबंधी सुनील अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता।

11. घटना के एक अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षी अरविन्द कुमार अ.सा. 03 ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

12. अभियोजन साक्षी निहाल सिंह अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 03/08/2013 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी रिषभ जैन, निवासी : मौ ने जे.सी.बी. सी.ए.एस.ई. पीली 770 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट करने के संबंध में रिपोर्ट की थी, जिस पर

उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 147/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की प्रथम सूचना लेखकर अग्रिम विवेचना हेतु एसआई परिहार को सुपुर्द की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में निहाल सिंह अ.सा. 05 ने यह दर्शित किया है कि फरियादी रिषभ ने जे.सी.बी. मशीन का रजिस्ट्रेशन नम्बर या चालक का नाम नहीं बताया था। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाली जेसीबी मशीन का रजिस्ट्रेशन नम्बर अथवा चालक का नाम अंकित नहीं है।

13. अभियोजन साक्षी बी.एस.परिहार अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 03/08/2013 को थाना मौ में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 147/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी ऋषभ जैन के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा फरियादी ऋषभ जैन, साक्षी सुनील उर्फ सुशील के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे एवं दिनांक : 04/08/2013 को साक्षी मुन्नालाल के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 05/08/2013 को आरोपी जीवाराम से एक जेसीबी मशीन पीले रंग की 770 पावर हाउस की, जिसका क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./0455 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षीगण के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 21/09/2013 को साक्षी अरविन्द जैन के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। दिनांक : 05/08/2013 को पुष्पेन्द्र सिंह जादौन जे.सी.बी. मालिक का प्रमाणीकरण लिया था। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में विवेचक बी.एस.परिहार अ.सा. 07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहतगण सुनील जैन अ.सा.01, रिषभ जैन अ.सा.02, अरविन्द अ.सा.03 एवं मुन्नालाल ने उनके पुलिस कथनों में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का क्रमांक एवं आरोपी का नाम नहीं बताया था। ऐसी दशा में जबकि उक्त चारों ही साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन में अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं बताया था, तब विवेचक बी.एस.परिहार अ.सा. 07 द्वारा यह किस प्रकार मालूम किया गया कि उक्त दुर्घटनाकारित करने वाले जेसीबी का नम्बर एम.पी.07/डी.ए./0455 था, इस वावत् विवेचक बी.एस. परिहार अ.सा.07 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य मौन है। इस प्रकार इस वावत् साक्ष्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी टूटी हुई है और विवेचक बी.एस.परिहार

अ.सा.07 का इस वावत् दिया गया न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं की गई विवेचना त्रुटिपूर्ण होना प्रकट होती है।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी जीवाराम ने दिनांक :- 03/08/2013 को शाम लगभग 05:00 बजे काली माता मंदिर के पास स्यौड़ा रोड़ मौ सार्वजनिक मार्ग पर, उसके आधिपत्य के जे.सी.बी. वाहन क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./0455 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी रिषभ की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर फरियादी रिषभ को उपहति एवं आहत सुनील को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी जीवाराम के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी जीवाराम को भा.द.सं. की धारा 279, 337 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

18. प्रकरण में जब्तशुदा जे.सी.बी. वाहन क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./0455 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी पुष्पेन्द्र सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद